विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Speed Post

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

मिसिल संख्या 11-24/2021(एस ए 1/विविध) **दिनांक** :-

कुलपति,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र) 442001

22 OCT 2021

विषय यूजीसी- नेट - जेआरएफ

महोदय,

विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त **पत्र संख्या 002/2020-21/Student Rel./73 दिनांक 26.03.2021** एवं अन्य विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब निम्नलिखित है।

क्र. स.	प्रश्न	जवाब
1.	1. कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में सत्र 2018-20 के जो एम.फिल. शोधार्थी शोध प्रबंध जमा नहीं कर सके है और पाठ्यक्रम की 2 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी है क्या वे इस विस्तारित अवधि में शोधार्थी माने जायेंगे? 2. यदि शोधार्थी का चयन विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली **नॉन-नेट शोधवृति** की अवधि 02 वर्ष समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य संस्था की शोधवृति के लिए होता है तो कोविड-19 के कारण किये गये समय विस्तारण अवधि में विधार्थी माना जाएगा या नही।	1 और 2 पूछा गया प्रश्न नेट-जेआरएफ स्कीम से संबंधित नहीं है यह नॉन-नेट शोधवृत्ति से संबंधित है।
2.	यूजीसी के नियमानुसार जेआरएफ प्राप्त एम.फिल. शोधार्थियों को डेट ऑफ़ जोइनिंग/एडमिशन से 2 वर्ष की अवधि तक फ़ेलोशिप देने का प्रावधान है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा डेट ऑफ जोइनिंग के बजाए अकादिमक कलेंडर से सत्र 1 जुलाई 2018 से 2 वर्ष की अवधि की गणना की जा रही है **किन्तु शोधार्थियों की एडमिशन प्रक्रिया सितम्बर 2018 तक पूर्ण हुई थी। अत: शोधार्थियों के दो वर्ष की गणना उनके डेट ऑफ जोइनिंग से की जाए विश्वविद्यालय को इस संबंध में निर्देशित किया जाए?**	यूजीसी, जेआरएफ की निर्देशिका के अनुसार जेआरएफ फेलोशिप एमफिल में डेट ऑफ जोइनिंग से दो वर्ष तक या थीसिस सबमिट करने की तिथि(दोनों में से जो पहले हो) तक दिया जाता है। आगे की तीन वर्षो की फेलोशिप के लिए शोधार्थी को एक वर्ष के अन्दर पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। शोधार्थी एमफिल में डेट ऑफ जोइनिंग से दो वर्ष तक या थीसिस जमा करने की तिथि तक (जो भी पहले हो तक) फेलोशिप के पात्र होंगे। **कोरोना काल में यूजीसी द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के आधार पर** शोधार्थियों को थीसिस सबमिशन के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय विस्तार किया गया है। हालांकि, फेलोशिप का कार्यकाल केवल 5 साल तक का ही है। यह नोटिस केवल थीसिस जमा करने के लिए किया गया है इसका अतिरिक्त फेलोशिप से कोई संबंध नहीं हैं।
3.	कोविड-19 के कारण समस्त शोधार्थी लॉकडाउन की विस्तारित अवधि में भी शोध कार्य से जुड़े रहे किन्तु **इस विस्तारित अवधि में जेआरएफ प्राप्त शोधार्थियों को फेलोशिप दिए जाने पर यूजीसी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं होने की दशा में जेआरएफ फेलोशिप विश्वविद्यालय द्वारा रोक दी गई है।**	इस संबंध में, विश्वविद्यालय को यूजीसी जेआरएफ निर्देशिका का अनुसरण करना हैं।
4.	विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का पाँच वर्षीय एम.फिल का फेलोशिप चार्ट बना दिया गया था। इसके कारण विस्तारित अवधि में भी शोधार्थियों की शोधवृत्ति शोधरत होने के बाबजूद नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते प्रतिमाह नुकसान होने की आशंका है। अत: महोदय से निवेदन है कि कोरोना जैसी विकट परिस्तिथियों में अपने शोध को प्राथमिकता देते हुए विस्तारित शोध अवधि में शोध जमा करने वाले **हम शोधार्थियों को शोध जमा करने की**	इस संबंध में शोधार्थियों के अनुरोध कि "विस्तारित शोध अवधि में शोध जमा करने वाले हम शोधार्थियों को शोध जमा करने की तिथि तक की छात्रवृत्ति जारी की जाए।" के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि **उन्हें फेलोशिप एमफिल में डेट ऑफ जोइनिंग से दो वर्ष तक या थीसिस सबमिट करने की तिथि(दोनों में से जो पहले हो) तक दिया जाएगा।** और छात्रों द्वारा किए गए प्रश्न जिसमे वह

	तिथि तक की छात्रवृत्ति जारी की जाए। साथ ही महामारी की समय अवधि के कारण पी.एच.डी. एडमिशन प्रक्रिया में देरी हुई। **अत: विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हेतु डेट ऑफ़ एडमिशन से शोध-प्रबंध जमा करने तक की तिथि का NOC जारी करवाने की कृपा करें।** जिससे विगत वर्ष से छात्रवृत्ति के आभाव में छात्रवृत्तिहोने पर भी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे शोधार्थियों को उनके हिस्से की शोधवृत्ति मिलनी सुनिश्चत हो सके।	"विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हेतु डेट ऑफ़ एडमिशन से शोध-प्रबंध जमा करने तक की तिथि का NOC जारी करवाने की कृपा करें।" कहे रहे है, इसके संबंध में यह उल्लेखित है की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे वह हमारी निर्देशिका के अनुसार जारी करें।
5.	कोरोना के कारण प्रस्तावित शोध समय को 31-12-2021 तक बढ़ाया गया, इसलिए श्री अमन ऋषि साहू छात्र **1 दिसंबर 2020 से 08-02-2021 तक फेलोशिप जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं।** यह शोधार्थी जेआरएफ की फेलोशिप 12 सितंबर 2018 से 11 सितंबर 2020 तक प्राप्त करने का पात्र था लेकिन इसे नवंबर 2020 तक और मई से अगस्त 2021 तक कुल 30 महीने 19 दिन का फेलोशिप का भुगतान ऑटोमेटिक माध्यम से किया गया हैं। जिसमें 6 महीने 19 दिन का अधिक भुगतान किया गया है	**3 और 4** यूजीसी, जेआरएफ की निर्देशिका के अनुसार जेआरएफ फेलोशिप एमफिल में डेट ऑफ जोइनिंग से दो वर्ष तक या थीसिस सबमिट करने की तिथि (दोनों में से जो पहले हो) तक दिया जाता है। आगे की तीन वर्षो की फेलोशिप के लिए शोधार्थी को एक वर्ष के अन्दर पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। ऑटोमेटिक जनरेशन की वजह से दो साल के बाद भी जो फेलोशिप मिली है उस राशि को आगे की payable फेलोशिप में शामिल(adjust) किया जाएगा।
6.	कोरोना के कारण प्रस्तावित शोध समय को 31-12-2021 तक बढ़ाया गया, इसलिए श्रीमती प्रिति छात्र **1 दिसंबर 2020 से 27-03-2021 तक फेलोशिप जारी करने का अनुरोध कर रहे है।** यह शोधार्थी जेआरएफ की फेलोशिप 05 जनवरी 2019 से 04 जनवरी 2021 तक प्राप्त करने का पात्र था लेकिन इसे नवंबर 2020 तक और जून से अगस्त 2021 तक कुल 25 महीने 26 दिन का फेलोशिप का भुगतान ऑटोमेटिक माध्यम से किया गया हैं। जिसमें 1 महीने 27 दिन का अधिक भुगतान किया गया है	
7.	कोरोना के कारण श्री विकास मौर्या को नवंबर 2020 तक ऑटोमेटिक माध्यम से फेलोशिप प्राप्त हुई **जोकि 03-08-2020 तक मिलनी थी (थीसिस सबमिशन तक) इस कारण महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा छात्र को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है और यूजीसी की लिखित अनुमति मांग रहे है।** यह शोधार्थी जेआरएफ की फेलोशिप 12 जुलाई 2019 से 03 अगस्त 2020 तक प्राप्त करने का पात्र था लेकिन इसे नवंबर 2020 तक कुल 16 महीने 20 दिन का फेलोशिप का भुगतान ऑटोमेटिक माध्यम से किया गया हैं। जिसमें 3 महीने 28 दिन का अधिक भुगतान किया गया है	अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे वह हमारी निर्देशिका के अनुसार जारी करें। ऑटोमेटिक जनरेशन की वजह से दो साल के बाद भी जो फेलोशिप मिली है उस राशि को आगे की payable फेलोशिप में शामिल(adjust) किया जाएगा।

भवदीया

मोनिका

(मोनिका)
शिक्षा अधिकारी